ई–मेल द्वारा/अतिआवश्यक/समयबद्ध

कार्यालयः-- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मेरठ।

पत्रांकः 675/पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2024–25 दिनांकः 17 अक्टूबर, 2024

सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी

समस्त, विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज, मैडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज,

मैनेजमेण्ट कालेज, पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई0,

जनपद– मेरठ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति व दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषकय निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सं0 2046/पि0व0क0/2024–25 लखनऊः दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर निम्न कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है–

वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ0बी0सी0 के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम से छात्र के आधार सीडेड बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्र को बैंक शाखा के माध्यम् से बैंक खाते में आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा (सम्बन्धित शिक्षण सस्थाएं आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग की सूचना अपने विद्यालय के सूचना पट पर अवश्य चस्पा करें)। इस हेतु आप सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं के सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी को अवगत कराये की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के बैंक खातो को आधार सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग कराने की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाय ताकि भविष्य मे छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के खाते में अन्तरित कराये जाने की प्रक्रिया में फेल्ड ट्रांजेक्शन न हो।

आप अवगत ही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत में छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 20 नवम्बर, 2024 निर्धारित है। अतः उपरोक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

17/10/2024

(शैलेश राय)

जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,

मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4. उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित की आप अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी

मेरठ।

circulation to all students

21/10/2024